न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 287 / 2012 दायरा दिनांक : 05.09.2012

उनवान

धनराज पुत्र नारायण, जाति मेहर, निवासी आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री अरविन्द बघेरवाल
अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 09.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 30.07.2012 प्रकरण संख्या 14 / 2012 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण सं0 1352 / 2011 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.01.2012 से अपीलांट को ग्राम आमापुरा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 163 रकबा 0.01 हेक्टर में से 50 X 90 वर्गफीट, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 6.00 / – रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.07.2012 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है । अपीलांट ने जो मकान का निर्माण करवाया है वह पट्टेशुदा भूमि पर है । पट्टा अपीलांट के पिता रामनारायण के नाम जारी हुआ था, जिस पर अपीलांट अपने पिता के समय से 40 वर्ष से भी अधिक समय से निवास कर रहे हैं । इस मकान के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई रिहायसी मकान नहीं है । अपीलांट गरीब व्यक्ति है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । वादग्रस्त आराजी चारागाह है जिसके बाबत ग्राम पंचायत को आवासीय पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पट्टे की प्रमाणित प्रति सलंग्न नहीं की है फोटो प्रति पेश की है जिस पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का पद, नाम और मोहर अंकित नहीं है । खसरा नम्बर भी पठनीय नहीं है । चारागाह भूमि पर मकान निर्माण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे का आवंटन नहीं किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं जिस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा